न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 89/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. चम्पालाल उर्फ विमनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पांचवा कलां तह0 सोजत जिला–पाली।		1. फौजाराम पुत्र शिवराम जाति भाट निवासी पांचवा कलां तह0 सोजत।
		जीवनसिंह
		भारतसिंह पिसरान रणजीतसिंह
		कंचन कंवर पत्नि रणजीतसिंह जातिगण
		राजपूत निवासीगण पांचवाकलां तह0
		सोजत जिला पाली।
		ग्राम पंचायत झूपेलाव जरिये सरपंच।
		सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक)
		सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

दिनांक 18/07/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पांचवा कलां तह0 सोजत में वर्तमान ख.न. 756 रकबा 3.82 है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसके गत खसरा सं0 407 रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा हैं। उक्त भूमि वादीगण के पुश्तैनी, खातेदारी कब्जा काश्त की हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि का रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा है। जिसका नया नाप हेक्टर प्रणाली में 4.61 है0 बनता हैं। परन्तु रिवाईज्ड सैटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजीयात का रकबा पौने उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 3.82 है0 गलत दर्ज कर दिया। अर्थात् 0.79 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई। इसी प्रकार उक्त भूमि के पास सरकारी कृषि भूमि ख.नं. 381 रकबा 84 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के नये खसरा नंबर 764 रकबा 13.42 है0 एवं 764/829 रकबा 2.40 है0, ख.नं. 759 रकबा 1.89 है0 कायम किये गए। उक्त तीनो नये नबंर का कुल रकबा 17.71 है0 होता हैं। जो कि साढे देस बिघा दो बिस्वा होता हैं। जबकि उक्त खसरान का गत रकबा 84 बिघा चार बिस्वा ही है। इस प्रकार वादी की भूमि पास स्थित सरकारी भूमि में पच्चीश बीघा गलत तरीके से शामिल कर दी गई। इसके अतिरिक्त वादी को स्थानीय गांव में चम्पालाल के नाम से जानते थे, जिससे राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पालाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम विमनसिंह है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा पांचवाकलां के वर्तमान ख0नं0 756 के रकबा 3.82 है0 के स्थान पर 4.61 है0 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं सरहद मौजा पांचवा कलां के ख.नं. 78, 662 व 756 में वादी का नाम चम्पालाल पुत्र रामसिंह के स्थान पर विमनसिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है एवं वादी की भूमि में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलबं किया गया। अप्रार्थी सं0 2 से 4, 5 व 6 के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये। बावजूद सूचना/तामिल बार–बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नही होने से दिनांक 12.09.2017 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं दिनांक 31.05

उप खण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2013 को अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया।

प्रकरण मे मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक बिन्दुवार रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा गया। तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2024/921 दिनांक 11.03.2024 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पांचवा कलां की जिला कार्यालय पाली से प्रदत्त पी–15 दिनांक 15.10.2019 को जारी वर्तमान नक्शा शीट मे दर्ज वर्तमान ख.नं. 756 का रकबा 3.82 है0 हैं। जिला कार्यालय पाली के पी–14 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा जारी प्रथम सैटलमेंट की नक्शाशीट के अनुसार ग्राम पांचवा कलां के ख.नं. 407 का रकबा 4.60 है0 हैं। वर्तमान नक्शाशीट के खसरा नंबर 756 के पुराने खसरा नंबर 407 हैं। दोनो शीटो का अध्ययन करने से रकबे में 0.78 है0 का अन्तर आ रहा हैं। जो भूमि कम दर्ज हुई हैं। वह खसरा नंबर 753 में 0.12 है0, 754 में 0.0800 है0, 759 में 0.58 है0 शामिल हुई है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2033–52 में वादी का नाम चम्पालाल पुत्र रामसिंह कौम पुरोहित दर्ज है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में यथावत् हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में चिमनसिंह के बयान कलमबद्ध किये [illegible] दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। वादी द्वारा सरहद मौजा पांचवा कलां के खसरा नंबर 1[illegible], 662 व 756 की जमाबंदी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श–1, खसरा नंबर 759, 764/829, 154 जमाबंदी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श–2, 3 व 4 हैं। खसरा नंबर 756 की जमाबंदी सम्वत् 2024–27 प्रदर्श–6 हैं, 2042–45 प्रदर्श–5 हैं, गत खसरा नंबर 407 की जमाबंदी सम्वत् खसरा नंबर 381 की जमाबंदी प्रदर्श–7, खसरा मिलान प्रदर्श–8, ग्राम पंचायत झूपेलाव के नोटिस की प्रति प्रदर्श–9, मूल नोटिस प्रदर्श–10 तहसीलदार सोजत को खुद को नोटिस भेया गया जिसकी प्रति, प्रदर्श–11, नोटिस की प्राप्ति रशीद प्रदर्श–12, पोस्टल रशीद प्रदर्श–13, विवादित भूमि का नक्शा वर्तमान व गत पी–14 व पी–15 हैं। आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–16, पेन कार्ड की प्रति, प्रदर्श–17, ग्राम पंचायत झूपेलाव का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–18, अखवार की प्रति, प्रदर्श–19 हैं। जिन्हे प्रदर्शित करवाया गया। पुनः परीक्षण शुन्य रहा। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा वादी साक्ष्य में इन्द्रसिंह, तेजूसिंह, डूंगरसिंह के बयान कलमबद्ध करवाये गये जो शामिल मिसल हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा पांचवा कलां तह0 सोजत में वर्तमान ख.नं. 756 रकबा 3.82 है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसके गत खसरा सं0 407 रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा हैं। उक्त भूमि वादीगण के पुश्तैनी, खातेदारी कब्जा काश्त की हैं। वादगस्त कृषि भूमि का रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा हैं। जिसका नया नाप हैक्टर प्रणाली में 4.61 है0 बनता हैं। परन्तु रिवाईज्ड सैटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजीयात का रकबा पौने उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 3.82 है0 गलत दर्ज कर दिया। अर्थात् 0.79 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई। इसी प्रकार उक्त भूमि के पास सरकारी कृषि भूमि ख.नं. 381 रकबा 84 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के नये खसरा नंबर 764 रकबा 13.42 है0 एवं 764/829 रकबा 2.40 है0, ख.नं. 759 रकबा 1.89 है0 कायम किये गए। उक्त तीनो नये नबंर का कुल रकबा 17.71 है0 होता हैं। जो कि साढे दस बिघा दो बिस्वा होता हैं। जबकि उक्त खसरान का गत रकबा 84 बिघा चार बिस्वा ही हैं। इस प्रकार वादी की भूमि पास स्थित सरकारी भूमि में पच्चीश बीघा गलत तरीके से शामिल कर दी गई। इसके अतिरिक्त वादी को स्थानीय गांव में चम्पालाल के नाम से जानते थे, जिससे राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पालाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम चिमनसिंह हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया एवं तहसीलदार सोजत द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद को साबित किये जाना व्यक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं कलमबद्ध किये गए बयानो का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः दस्तावेजी साक्ष्य, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं स्वतंत्र गवाहों के लिए गये बयानात से स्पष्ट होता है कि सरहद मौजा पांचवा कलां तह0 सोजत मे वर्तमान ख.नं. 756 रकबा 3.82 है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसके गत खसरा सं0 407 रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा थे, उक्त भूमि वादीगण के पुश्तैनी, खातेदारी कब्जा काश्त की रही थी। वादगस्त कृषि भूमि का रकबा पौन उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा था, जिसे सैटलमेंट के पश्चात् नवीन खसरा नंबरान दर्ज करते हुए रकबा 4.61 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु रिवाईज्ड सैटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजीयात का रकबा पौने उन्नतीश बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 3.82 है0 गलत दर्ज कर दिया। अर्थात् 0.79 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई। उक्त तीनो नये नबंर का कुल रकबा 17.71 है0 होता हैं। जो कि साढे दस बिघा दो बिस्वा होता है। जबकि उक्त खसरान का गत रकबा 84 बिघा चार बिस्वा ही हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान नक्शाशीट के खसरा नंबर 756 के पुराने खसरा नंबर 407 हैं। दोनो शीटो का अध्ययन करने से रकबे में 0.78 है0 का अन्तर आ रहा हैं। जो भूमि कम दर्ज हुई है, वह खसरा नंबर 753 मे 0.12 है0, 754 में 0.0800 है0, 759 में 0.58 है0 शामिल हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी की कम दर्ज भूमि को सेटलमेंट के पश्चात् में खसरा नंबर 753, 754 व 759 में सम्मिलित कर दिया गया। जिसमें से कम की जाकर पुनः वादी को कम दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वारदीगण का प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी जारी की जाती है कि संरहद मौजा पांचवा कलां के वर्तमान खसरा नंबर 753 में 0.12 है0, 754 में 0.0800 है0, 759 में 0.58 है0 756 का रकबा 3.82 है0 में से भूमि कम कर के कम की गई भूमि को खसरा नंबर 756 के रकबे में सम्मिलित करते हुए वादीगण को रकबा 3.82 है0 के स्थान पर 4.61 है0 दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाकर तरमीम दुरूस्त किया जावें तथा वादी का नाम चंपालाल पुत्र रामसिंह के स्थान पर चम्पालाल उर्फ चिमनसिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश भी तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।पत्रावली फैशन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 आज्ञा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. चम्पालाल उर्फ चिमनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पांचवा कलां तह0 सोजत जिला–पाली।		1. फौजाराम पुत्र शिवराम जाति भाट निवासी पांचवा कलां तह0 सोजत। जीवनसिंह भारतसिंह पिसरान रणजीतसिंह कंचन कंवर पत्नि रणजीतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण पांचवाकलां तह0 सोजत जिला पाली। ग्राम पंचायत झूपेलाव जरिये सरपंच। सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 89/2012

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री खेतसिंह राजपुरोहित तथा श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 व प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि संरहद मौजा पांचवा कलां के वर्तमान खसरा नंबर 753 में 0.12 है0, 754 में 0.0800 है0, 759 में 0.58 है0 756 का रकबा 3.82 है0 में से भूमि कम कर के कम की गई भूमि को खसरा नंबर 756 के रकबे में सम्मिलित करते हुए वादीगण को रकबा 3.82 है0 के स्थान पर 4.61 है0 दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाकर तरमीम दुरूस्त किया जावें तथा वादी का नाम चंपालाल पुत्र रामसिंह के स्थान पर चम्पालाल उर्फ चिमनसिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश भी तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मगवाई जावें।पत्रावली फैशन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग –– बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह, शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/07/2024 को जारी की

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.))

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.))

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकील	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.